

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2023-70

उप खण्ड अधिकारी (नियम 26)
 अज अदालत बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ मुकदमा
 श्री कालु बनाम जयनालाल
 किस्म मुकदमा सन्
 प्र.घज 128 42/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही पर स्थितिपत्र जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... जन्तई ग्राम..... की आ.न. खता सं 16.87, की उ.क्षार.न. की खता सं 18 = 5-32 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 5000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

